भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 854

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2026

पीएम विश्वकर्मा योजना

854. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके आरंभ से इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत राज्य-वार और कर्नाटक में जिला-वार पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और साथ ही उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त किया है;

(ग) योजना के तहत स्वीकृत और वितरित किए गए कुल ऋण की राज्य-वार राशि कितनी है और कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) लाभार्थियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रदर्शनियों, ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) पात्र कारीगरों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, नामांकन बढ़ाने, जागरूकता फैलाने और लाभों की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को की गई थी ताकि 18 पारंपरिक व्यापारों में संलग्न कारीगरों और शिल्पकार जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम में 18 व्यापारों नामत: बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, मेटल कारीगर, टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाले, मोची/फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता, खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, गारलेंड मेकर, धोबी, दर्जी तथा मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

पीएम विश्वकर्मा की मुख्य विशेषाएं निम्नानुसार हैं:-

i. कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता प्रदान करना।

ii. कौशल उन्नयन: 5-7 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक अवधि का उन्नत प्रशिक्षण जिसके साथ प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइरेंड तथा 1000 रुपए का परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

iii. टूलकिट प्रोत्साहन : आधारभूत कौशल प्रशिक्षण के पश्चात ई-वाउचरों के जरिए 15,000 रुपए तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

iv. क्रेडिट सहायता : 18 माह और 30 माह की अवधि वाली क्रमश: 1 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए की 2 किश्तों में 3 लाख रुपए तक का कोलेटरल मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' जिसे 8 प्रतिशत की सीमा तक के भारत सरकार के सब्वेंशन के साथ 5 प्रतिशत के नियत रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।

v. डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन : प्रति उपयुक्त डिजिटल लेन-देन के लिए 1 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जोकि मासिक रूप से अधिकतम 100 उपयुक्त लेन-देन तक के लिए होगी और जिसे लाभार्थी को डिजिटल भुगतान अथवा प्राप्ति के लिए प्रदान किया जाएगा।

vi. विपणन सहायता : गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे जेम पर शामिल करना, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन कार्यकलापों के रूप में विपणन सहायता ताकि मूल्य ऋंखला के साथ जुड़ाव को और बेहतर बनाया जा सके।

(ख) : पीएम विश्वकर्मा, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और कोलेटरल मुक्त ऋण के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की कर्नाटक में राज्य-वार तथा जिला-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) : राज्य-वार कुल संस्वीकृत और वितरित कुल ऋण राशि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में संस्वीकृत और संवितरित ऋण की कुल राशि निम्नानुसार है:-

लाख रुपए में

जिला का नाम	संस्वीकृत ऋण राशि	संवितरित ऋण राशि
शिवमोगा	4758.95	3863.84

(घ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों तथा भौतिक प्रदर्शनियों के जरिए विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए व्यापक विपणन सहायता संबंधी उपाय शुरू किए हैं। इसमें सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर पीएम विश्वकर्मा को शामिल करना, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) तथा ख्यातिप्राप्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं। 30,000 से अधिक लाभार्थियों को जेम पर शामिल किया गया है, 1,700 से अधिक कारीगरों को ओएनडीसी पर शामिल किया गया है तथा 160 कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। आज की तारीख तक देश भर में 82 व्यापार मेलों तथा 37 राज्य-स्तरीय पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।

(ङ) : सभी कारीगरों और शिल्पकारों की इस स्कीम तक समतामूलक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए कई पहलें की हैं। वर्ष 2025-26 तक 760 से अधिक जागरुकता कार्यक्रमों/कैंपों का आयोजन किया गया है, 50 से अधिक कार्यशालाओं, 50 व्यापार मेलों, 34 राज्य-स्तरीय प्रदर्शनियों तथा 50 से अधिक फ्लैश मॉब्स का देश भर में तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आयोजन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस वित्त वर्ष के लिए एमएसएमई मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयों को 739 जागरुकता कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं ताकि राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित करके इस स्कीम के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में जागरुकता पैदा की जा सके।

मंत्रालय सोशल मीडिया अभियानों, आकाशवाणी पर रेडियो जिंगल्स, समाचारपत्र विज्ञापनों, होर्ल्डिंगों, डिजिटल डिसप्ले तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में ऑडियो उद्घोषणाओं के जरिए व्यापक प्रचार की कर रहा है। पहुंच को और अधिक बेहतर बनाने तथा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पीएम विश्वकर्मा दिशानिर्देशों तथा विभिन्न व्यापारों के लिए हैंडबुक का 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 854, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

(क) पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और कोलेटरल मुक्त ऋण की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	सफलतापूर्वक किए गए पंजीकरण की संख्या	पूर्ण किए गए आधारभूत प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण की संख्या	वितरित टूलकिट
आंध्र प्रदेश	2,22,947	1,79,245	59,788	1,07,428
अरुणाचल प्रदेश	7,196	1,868	297	94
असम	1,18,861	97,740	16,072	66,700
बिहार	1,62,053	1,19,543	26,423	71,581
छत्तीसगढ़	1,16,442	82,481	11,857	59,134
गोवा	18,575	12,138	1,350	7,407
गुजरात	2,14,064	1,86,721	51,115	1,56,254
हरियाणा	41,366	33,372	8,049	22,260
हिमाचल प्रदेश	19,701	13,175	2,213	7,868
झारखंड	43,737	31,865	7,059	21,847
कर्नाटक	5,72,108	4,89,114	1,30,750	3,84,997
केरल	22,344	13,776	58,84	6,623
मध्य प्रदेश	2,78,022	2,28,393	59,461	1,55,262
महाराष्ट्र	2,83,298	2,17,512	65,029	1,60,884
मणिपुर	18,132	11,869	2,312	2,543
मेघालय	4,725	885	83	189
मिजोरम	3,397	1,409	103	147
नागालैंड	4,550	2,035	426	140
ओडिशा	1,06,312	85,937	19,768	61,066
पंजाब	13,040	8,506	1,920	3,370
राजस्थान	2,51,982	2,20,421	64,976	1,76,140
सिक्किम	3,407	1,905	452	534
तेलंगाना	89,040	67,370	29,574	39,646
त्रिपुरा	20,273	15,980	4,573	6,783
उत्तर प्रदेश	1,78,031	1,46,398	17,539	88,573
उत्तराखंड	20,357	12,971	1,538	7,529
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,057	609	141	283
चंडीगढ़	775	332	86	89
दिल्ली	2,619	1,015	225	117
जम्मू और कश्मीर	1,54,881	1,37,421	14,844	1,12,138
लद्दाख	4,189	2,758	629	2,297
लक्षद्वीप	697	459	19	42
पुदुचेरी	902	270	174	63
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	918	634	178	434
सकल योग	**30,00,000**	**24,26,127**	**6,04,907**	**17,30,462**

तमिलनाडु ने अभी तक पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने मई, 2026 के दौरान राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति का गठन किया है।

(ख) पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत कर्नाटक में पंजीकृत लाभार्थियों, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन तथा कोलेटरल मुक्त ऋण की जिला-वार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

जिला	सफलतापूर्वक किए गए पंजीकरण	पूर्ण किए गए आधारभूत प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण की संख्या	वितरित टूलकिट
बागलकोट	3,877	3,053	1,044	2,124
बल्लारी	23,817	20,838	4,994	18,455
बेलगावी	25,503	20,727	5,075	16,769
बेंगलुरु ग्रामीण	7,801	6,053	1,734	4,137
बेंगलुरु शहरी	15,026	10,473	3,594	5,327
बीदर	32,975	27,801	5,790	25,699
चामराजनगर	30,016	27,066	5,803	19,406
चिक्कबल्लपुर	21,890	18,674	3,441	16,500
चिक्कामगलुरु	7,131	6,054	2,563	4,047
चित्रदुर्ग	39,933	35,011	7,902	33,022
दक्षिण कन्नड़	7,254	5,841	3,695	4,854
दावनगेरे	21,998	19,806	6,208	16,364
धारवाड़	13,301	1,16,88	3,265	7,650
गडग	6,451	5,457	1,781	4,052
हसन	11,213	9,689	3,246	7,301
हावेरी	6,930	5,726	1,701	4,048
कलबुर्गी	12,334	10,883	1,950	7,555
कोडागू	2,623	2,074	1,169	864
कोलार	38,204	31,839	8,011	28,144
कोप्पल	17,423	14,828	3,532	13,536
मंड्या	22,410	19,263	4,759	12,386
मैसूर	34,868	30,584	6,390	22,761
रायचूर	25,371	22,479	6,124	20,402
रामानगर	9,377	8,552	2,717	5,948
शिवमोगा	16,158	14,248	5,300	10,429
तुमकुरु	65,284	58,042	14,177	40,468
उडुपी	7,912	6,774	4,160	5,957
उत्तर कन्नड़	13,186	9,811	4,405	6,103
विजयनगर	15,591	12,573	3,505	11,206
विजयपुरा	1,674	1,018	239	432
यादगीर	14,577	12,189	2,476	9,051
कुल (कर्नाटक)	**5,72,108**	**4,77,531**	**1,30,750**	**3,84,997**

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 854, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत तथा संवितरित कुल ऋण राशि

लाख रुपए में

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत ऋण राशि	संवितरित ऋण राशि
आंध्र प्रदेश	48,399.70	37,783.95
अरुणाचल प्रदेश	271.84	222.76
असम	15,012.18	13,282.85
बिहार	22,469.02	18,832.78
छत्तीसगढ़	9,898.46	7,451.62
गोवा	1,214.18	904.47
गुजरात	45,784.40	36,245.30
हरियाणा	7,477.63	6,628.89
हिमाचल प्रदेश	2,088.30	1,910.36
झारखंड	4,866.21	3,978.79
कर्नाटक	103,429.38	79,415.03
केरल	5,409.17	5,146.78
मध्य प्रदेश	53,908.84	47,475.07
महाराष्ट्र	55,970.05	46,013.74
मणिपुर	2,135.99	1,897.95
मेघालय	70.15	39.20
मिजोरम	95.70	65.10
नागालैंड	414.83	393.10
ओडिशा	16,491.04	14,796.19
पंजाब	1,747.21	1,620.52
राजस्थान	57,661.10	53,316.60
सिक्किम	428.11	377.31
तेलंगाना	27,820.18	25,547.92
त्रिपुरा	3,952.53	3,652.24
उतार प्रदेश	15,304.99	12,838.42
उत्तराखंड	1,375.98	1,197.00
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	120.69	112.36
चंडीगढ़	76.75	69.03
दिल्ली	189.28	179.43
जम्मू और कश्मीर	13,734.77	8,619.88
लद्दाख	622.52	594.17
लक्षद्वीप	15.30	15.30
पुदुचेरी	166.29	164.29
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	158.25	151.25
सकल योग	518,780.99	430,939.63

तमिलनाडु ने अभी तक पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने मई, 2026 के दौरान राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति का गठन किया है।